

सातवीं अनुसूची
(धारा 84 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

- (1) अध्याय 24 में,—
- 5 (i) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “659 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1068 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (2) अध्याय 25 में, टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “450 रुपए प्रति टन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (3) अध्याय 39 के टिप्पण 16 में, “धातुकरण” शब्द के स्थान पर, “धातुकरण या पटलीकरण या लेकरकरण” शब्द रखे जाएंगे ;
- (4) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8523 80 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “12%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।